समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

क0स0	योजना का नाम	शर्ते
1	अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति वितरण योजना	कक्षा 1 से 8 में अनुसूचित जाति के समस्त छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, कक्षा 9 से 10 में जिनके अभिभावक की वार्षिक आय रू0 30000/- से कम हैं, उन्हे छात्रवृत्ति सुविधा देय है। दशमोत्तर एवं अन्य उच्चतर कक्षाओं/पाठयक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र जिनके अभिभावक की वार्षिक आय रू0 2.00 लाख तक है, को छात्रवृत्ति एवं फीसप्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमान्य है।
2	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के परिवारों के छात्रों की छात्रवृत्ति योजना	इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 1 से 10 तक जिनके अभिभावक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू0 19884/- एवं शहरी क्षेत्र में रू0 25546/- हैं से सम्बन्धित छात्रों को छात्रवृत्ति देय है। दशमोत्तर कक्षाओं में जिनके अभिभावक की आय रू0 1.00 लाख से कम हैं, को नैट पर उपलब्ध नाम एवं शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि के आधार पर शुल्क देय है।
3	वृद्वावस्था पेंशन योजना	इस योजना के अन्तर्गत शासनादेशानुसार उन व्यक्तियों की पेंशन स्वीकृत की जाती है जिनका नाम बी0पी0एल0 2002 की सूची में अंकित है। स्वीकृति का अधिकार शहर में उपजिलाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी में निहित है। सभी लाभार्थियों का सत्यापन करा लिया गया है धनराशि का मॉग पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
4	रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना	शासनादेशानुसार उक्त योजना के अन्तर्गत ऐसे परिवार को लाभान्वित किया जाता है, जिनकी ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय रू0 19884/- एवं शहरी क्षेत्र में रू0 25546/- प्रति परिवार प्रति वर्ष हो, एवं बी0पी0एल0, अन्तोदय कार्ड धारक न हो, अथवा किसी पेंशन योजना से लाभान्वित न किया जाता हो, शासन द्वारा संचालित नवीन योजना से सम्बन्धित लाभार्थियों का सत्यापन करा लिया गया है, धनराशि का मॉग पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
5	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	इस योजना के अन्तर्गत ऐसे आवेदन पत्र जिसमें आवेदक की आय ग्रामीण क्षेत्र में रू0 19884/- एवं शहरी क्षेत्र में रू0 25546/- हो एवं मृत्यू एक वर्ष के अन्तर्गत हुई हो एवं मृतक की आयु 65 वर्ष से कम हो को अनुदान से लाभान्वित किया जाता है। आवेदन पत्र तहसील में उपलब्ध कराये जाते है जिसका सत्यापन तहसील द्वारा कराया जाता है, एवं उक्त आवेदन पत्र को उपजिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत कर विभाग को उपलब्ध कराया जाता है। तहसील द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी पात्र आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की जा चुकी है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

क0स0	योजना का नाम	शर्ते
6	अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी एवं उनके परिजनो के इलाज हेतु आर्थिक सहायता	इस योजना के अन्तर्गत तहसील द्वारा सत्यापन उपरान्त आवेदन पत्र उपलब्ध कराये जाते है जिसमें पात्र पाये गये लाभार्थियों पर कार्यवाही की जाती है, तहसील द्वारा जो आवेदन पत्र वित्तीय वर्ष 2012–13 में उपलब्ध कराये गये थे, उनकी स्वीकृति जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षा एवं माननीय सदस्यों की उपस्थिती में कराई जा चुकी है। उक्त योजना में ग्रामीण क्षेत्र में आय रू0 19884/– एवं शहरी क्षेत्र में रू0 25546/– वार्षिक होना आवश्यक है।
7	सामान्य वर्ग शादी बीमारी योजना	इस योजना के अन्तर्गत तहसील द्वारा सत्यापन उपरान्त आवेदन पत्र उपलब्ध कराये जाते है जिसमें पात्र पाये गये लाभार्थियों पर कार्यवाही की जाती है, तहसील द्वारा जो आवेदन पत्र वित्तीय वर्ष 2012–13 में उपलब्ध कराये गये थे, उनकी स्वीकृति जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षा एवं माननीय सदस्यों की उपस्थिती में कराई जा चुकी है। उक्त योजना में ग्रामीण क्षेत्र में आय रू0 19884/– एवं शहरी क्षेत्र में रू0 25546/– वार्षिक होना आवश्यक है।
8	अत्याचार से उत्पीडित अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता	इस योजना के अन्तर्गत उत्पीडित परिवार द्वारा अपने सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना दर्ज कराई जाती है, जो थानाध्यक्ष द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कार्यालय उत्पीडन प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराई जाती है, तदपश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत कर धनराशि का मॉग पत्र कार्यालय को उपलब्ध कराया जाता है। जिसपर धनराशि भुगतान की कार्यवाही की जाती है।
9	छात्रावासों का संचालन	अनुसूचित जाति/जनजाति के ऐसे छात्र/छात्राओं कि जो जनपद की संस्थाओं में अध्ययनरत है, को छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाती है। जनपद में तीन छात्रावास संचालित है, जो क्रमशः नन्दग्राम, साहिबाबाद, एवं भौपुरा में स्थित है।
10	कश्मीरी विस्थापित योजना	ऐसे कश्मीरी व्यक्ति जो कश्मीर से विस्थापित होकर जनपद गाजियाबाद में निवास कर रहे है, एवं तहसील में पंजीकृत है, ऐसे परिवारों को रू0 750/– प्रतिमाह की दर से अनुदान दिये जाने का प्राविधान है।
11	विभागीय सहायता प्राप्त आवर्तक अनुदान पर संचालित प्राथमिक विद्यालय	विभागीय प्राथमिक विद्यालय में 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति के छात्र का प्रवेश होना आवश्यक है। जनपद में तीन विद्यालय स्थापित है, जो क्रमशः महानन्द मिशन प्राइमरी पाठशाला, इन्द्रगढी, गाजियाबाद, दलित प्राइमरी पाठशाला बखरवा, डा0 अम्बेडकर प्राईमरी पाठशाला जलालपुर मुरादनगर में संचालित है।